राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

कमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 15.06.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 15.6.2015 में दिये गये निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. बीएडीपी योजना में लाईन विभागों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भिजवाये गये है इसके लिए जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर लाईन विभागों के सचिव स्तर की बैठक प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.राज के साथ दिनांक 18.06.2015 को आयोजित की जायेगी।

   (योजना प्रभारी)

2. बीएडीपी योजना वर्ष 2015–16 को भारत सरकार के सबमिशन व अन्य कार्यो के लिए दिनांक 16.06.2015 को संबंधित परियोजना अधिकारी (एसएपी) एवं एक–एक व्यक्ति जिलों से लेकर दिल्ली जाना सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यक कार्यवाही कर वर्ष 2015–16 के कार्ययोजना स्वीकृत करायेंगे।

   (योजना प्रभारी)

3. परियोजना निदेशक(एमएण्डई) द्वारा सभी योजनाओं में दिनांक 1.4.2015 से पहले के कार्यो के निस्तारण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।

   (योजना प्रभारी)

4. डांग, मगरा, मेवात योजना में प्रस्तावों को मा0 मंत्री महोदय के स्तर से शीघ्र स्वीकृत कराये जायें एवं जिलों को एएस.टीएस जारी करने के आदेश तुरंत जारी कराये जायें।

   (योजना प्रभारी)

5. डांग, मगरा, मेवात योजना में प्रशासनिक मद में व्यय हेतु प्राप्त की जाने वाली राशि के संबंध में फाईल का फोलोअप किया जाए।

   (योजना प्रभारी)

6. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास द्वारा 30 ब्लॉकों में दर निर्धारित की गयी है उनसे सम्पर्क कर दर निर्धारण शतप्रतिशत कराया जाना सुनिश्चित करें।

   (योजना प्रभारी)

7. वित्तीय सलाहकार द्वारा ब्लॉकवार सूचना आगामी बैठक में शतप्रतिशत उपलब्ध करायी जाये।

   (वित्तीय सलाहकार)

8. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सम्पूर्ण योजना की गहराई से समीक्षा कर 15वीं व 16वीं लोकसभा के व्यय की समीक्षा करें एवं सही व्यय एमपीआर में दर्शाना सुनिश्चित करें। योजना में आवंटित राशि का सही अंकन दिनांक 16.6.2015 तक कराया जाना सुनिश्चित करें।

   (पीडी एसएपी–एसएस)

9. समस्त योजनाओं में दिनांक 1.4.2015 के पूर्व के कार्यो का आईडब्ल्यूएमएस पर अपलोडेशन कर दिया जाए तथा यह अंतिम रूप से सही है इसका सत्यापन योजना प्रभारी आगामी बैठक में देगें।

   (समस्त योजना प्रभारी)

10. आवास योजना में नये प्रयोगों को देखने हेतु जाने वाली टीम संबंधित राज्य को पूर्व सूचना दे तथा पूर्ण कोर्डिनेशन उपरान्त ही राज्य से प्रस्तान करें।

    (योजना प्रभारी)

11. सहायक सांख्यिकी अधिकारी का प्रशिक्षण दिनांक 17 से 19 जून को सम्पन्न हो रहा है इसके साथ ही मुख्यालय व फिल्ड में से 25 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाया जाये। इसके संबंध में संयुक्त सचिव (प्रशा.) आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

    (संयुक्त सचिव,प्रशासन)

P.T.O.

12. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 122 विधायकों द्वारा ग्राम पंचायत का चयन कर लिया गया है शेष के लिए सचिव महोदय की ओर से जिला कलक्टरर्स को तथा मा0 विधायकगण को मा0 मंत्री महोदय की ओर से पत्र लिखवाया जाए।

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में माननीया मुख्य मंत्री महोदया द्वारा मा0 प्रधानमंत्री महोदय को योजना के प्रारम्भ व उसके संचालन के बारे में पत्र लिखा जाए।

(योजना प्रभारी)

13. सभी योजना प्रभारियों द्वारा जून माह की कार्य योजना तैयार कर आगामी 3 दिवस में प्रस्तुत की जाए।

(योजना प्रभारी)

14. विधान सभा के चतुर्थ सत्र के बकाया सभी प्रश्नों का उत्तर एक सप्ताह में विधान सभा को प्रेषित कर दिये जायें।

(योजना प्रभारी)

15. सभी योजना प्रभारी अपने अनुभाग के कार्मिकों की बैठक लेगें तथा उसकी मिनट्स कम से कम एक पृष्ठ की जारी कर सचिव महोदय को अवगत करायेंगे।

(समस्त योजना प्रभारी)

16. मा0 मंत्री महोदय, जनस्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा सामुदायिक भवन की राशि घटाने व उसके आकार के संबंध में दिये गये निर्देशों को रिवाईज करने तथा नलकूपों के संचालन हेतु यूजर कमेटी को संचालन की जिम्मेदारी हेतु दिये गये प्रस्तावों को पत्रावली पर प्रस्तुत करें।

(योजना प्रभारी)

17/6

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-</u>

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
2. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
3. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी-एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
5. अति0 मुख्य अभियन्ता एवं परि0निदे0एवं पदेन उप सचिव(सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
7. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना।
8. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

17/6

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)